

9/6/9/25

हकिमी द्वारा ... 6/10/25

6/10/25 - क. वाडी द्वारा ... 10/10/25 को

10/10/25

13/10/25 - क. वाडी द्वारा ... 15/10/25 को

15/10/25 - क. वाडी द्वारा ... 24/10/25 को

अभिप्रेत ... गोपीराज

24/10/25 - क. वाडी द्वारा ...

फॉर्म अहफाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक), चौमूं (जिला-जयपुर)

द्वारा चलाया गया न्यायिक कार्य

- 9/19

मुकदमा नम्बर :- 176/2020

आज्ञा विस्तृत रूप से

विशेष विवरण

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		<p>पत्राचार किया गया पत्राचार प्रकाश द्वारा लोक इपे कम्पन के जाने के तप्य 31 दिनांक 24/12/20</p>	<p>मामा न्यायिक सहायक (फास्ट ट्रैक) जयपुर</p>

न्यायालय सहायक कलक्टर (फा0ट्रैक/मु0) चौमू जिला -जयपुर  
पीठारसीन अधिकारी :-श्रीमती कनक जैन(R.A.S.)

मुकदमा नं0:-146/2025

उत्तवान

गुलाब चंद यादव पुत्र श्री रेखाराम यादव जाति अहीर निवासी ग्राम लोहारवाड़ा  
तहसील चौमू जिला जयपुर।  
-वादी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये लैण्ड होल्डर, तहसीलदार, तहसील चौमू जिला 1.  
जयपुर।  
-प्रतिवादी-

2. कमली पुत्री रेखा
3. कमली पुत्री नारायण
4. काना पुत्र माता जगली देवी
5. कालूराम पुत्र रेखा
6. गीता पुत्री नारायण
7. गोपाल पुत्र रेखा
8. चम्पा देवी पत्नी सेवाराम
9. छोटूराम पुत्र रेखा
10. जगदीश पुत्र रेखा
11. नमीता पुत्री सेवाराम
12. नानूडी पुत्री नारायण
13. बंशी पुत्र रेखा
14. विमला पुत्री सेवाराम
15. भगवती पुत्री नारायण
16. मोहनी पुत्री रेखा
17. रूडी पुत्री नारायण
18. राजेंद्र पुत्र माता जगली देवी
19. राधेश्याम पुत्र सेवाराम
20. रामचन्द्र पुत्र नारायण
21. लादूराम पुत्र रेखा
22. शंकरी पुत्री नारायण
23. सुरजी पुत्री रेखा
24. सुशीला पुत्री नारायण
25. सीताराम पुत्र नारायण
26. सीताराम पुत्र रेखा
27. हरिराम पुत्र नारायण
28. मुरली पुत्री रेखा
29. लालाराम पुत्र स्व. गंगाराम
30. रिछपाल पुत्र स्व. गंगाराम

  
सहायक कलक्टर (फांस्ट ट्रेक)  
चौमू जयपुर

31. भूरी देवी पुत्री स्व. गंगाराम
32. पतासी देवी पुत्री स्व. गंगाराम
33. चौथी देवी पुत्री स्व. गंगाराम
34. पांची देवी पुत्री स्व. गंगाराम
35. मनभरी देवी पुत्री स्व0 गंगाराम
36. सीता देवी पुत्री स्व. गंगाराम
37. झमरू देवी पत्नी स्व. बंशी
38. श्रवण पुत्र स्व. बंशी
39. पप्पू पुत्र स्व. बंशी
40. भगवान सहाय पुत्र स्व. भागीरथ
41. मदन पुत्र स्व. भागीरथ
42. जगदीश पुत्र स्व. भागीरथ
43. रिछपाल पुत्र स्व. भागीरथ
44. गोठी देवी पुत्री स्व. भागीरथ
45. फूली देवी पुत्री स्व. भागीरथ
46. सन्ती देवी पुत्री स्व. भागीरथ
47. घीसी देवी पत्नी स्व. मुरलीधर
48. गोपाल पुत्र स्व. मुरलीधर
49. बनवारी पुत्र स्व. मुरलीधर
50. कमली पुत्री स्व. मुरलीधर
51. मंजू पुत्री स्व. मुरलीधर
52. मोहनी पुत्री स्व. मुरलीधर
53. नानू पुत्री स्व. मुरलीधर
54. जगदीश पुत्र स्व. मांगीलाल
55. श्रवण पुत्र स्व. मांगीलाल
56. लालचन्द पुत्र स्व. मांगीलाल
57. बाबूडी पुत्री स्व. मांगीलाल
58. नानू पुत्री स्व मांगीलाल

समरत जाति अहीर, निवासी ग्राम लोहरवाडा, तहसील चौगूँ जिला जयपुर।  
59. द सेन्ट्रल कॉपरेटिव बैंक, जरिये शाखा प्रबन्धक, शाखा गोविन्दगढ़, तहसील चौमू, जिला जयपुर।

परफोर्मा प्रतिवादीगण

### दावा बाबत घोषणा, इन्द्राज दुरुस्ती

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक :-24.10.2025

वादी द्वारा वाद पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि वाके ग्राम लोहरवाडा, पटवार हल्का लोहरवाडा. भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र उदयपुरिया, तहसील चौमू, जिला जयपुर में वादी की खातेदारी भूमि हाल खाता संख्या 140. जिसके खसरा नम्बर 716 रकबा 0.0040 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 717 रकबा 0.0619 हैक्टेयर, खसरा

सहायक (फास्ट ट्रेक)  
चौमू, जयपुर

नम्बर 718 रकबा 0.0118 हैक्टेयर कुल किता 3 का कुल रकबा 0.0777 हैक्टेयर, हाल खाता संख्या 144, जिसके खसरा नम्बर 715 रकबा 0.1726 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 719 रकबा 4.4149 हैक्टेयर कुल किता 2 का कुल रकबा 4.5875 हैक्टेयर, हाल खाता संख्या 145, जिसके खसरा नम्बर 702 रकबा 0.0180 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 703 रकबा 0.0100 हैक्टेयर कुल किता 2 का कुल रकबा 0.0280 हैक्टेयर हाल खाता संख्या 146, जिसके खसरा नम्बर 706 रकबा 1.0551 हैक्टेयर कुल किता 1 का कुल रकबा 10551 हैक्टेयर स्थित है। उक्त भूमिया वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 58 के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। उक्त भूमियों के खातेदार गंगाराम पुत्र जीवनराम, बरजी पत्नी जीवनराम, भागीरथ पुत्र जीवनराम, बंशी पुत्र जीवनराम, मुरलीधर पुत्र जीवनराम मांगीलाल पुत्र जीवनराम व सोनी देवी पत्नी नारायण का स्वर्गवास हो चुका है जिनके वारिसान पक्षकार संयोजित है। उक्त भूमियों के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम वाद पत्र में विवादग्रस्त है। उक्त भूमियों के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम गुल्लाराम दर्ज है जो वादी का घर पर बोले जाना नाम है जबकि वादी के अन्य दस्तावेजात आधार कार्ड, शैक्षणिक दस्तावेज, जन आधार कार्ड, वोटर कार्ड इत्यादि में वादी का नाम गुलाबचन्द यादव दर्ज है। जिस कारण उक्त भूमियों के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम गुल्लाराम के स्थान गुलाबचन्द यादव अंकित कर दुरुस्त किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है। वादी द्वारा राजस्व रिकार्ड में अपना स्वयं का नाम दुरुस्त करवाने बाबत् प्रतिवादी संख्या 1 को दिनांक 15.07.2025 को प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा नाम दुरुस्त नहीं किया जाकर सक्षम न्यायालय में चाराजोही करने हेतु कहा। इसलिए उक्त वाद पेश करना लाजमी हुआ है।


वादी ने उक्त वाद पेश कर निम्न अनुतोष चाहा है वाद वादी डिक्री फरमाया जाकर वाद पत्र में वर्णित आराजीयात वाके ग्राम लोहरवाडा, पटवार हल्का लोहरवाडा, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र उदयपुरिया, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर में वादी की खातेदारी भूमि हाल खाता संख्या 140. जिसके खसरा नम्बर 716 रकबा 0.0040 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 717 रकबा 0.0619 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 718 रकबा 0.0118 हैक्टेयर कुल किता 3 का कुल रकबा 0.0777 हैक्टेयर, हाल खाता संख्या 144, जिसके खसरा नम्बर 715 रकबा 0.1726 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 719 रकबा 4.4149 हैक्टेयर कुल किता 2 का कुल रकबा 4.5875 हैक्टेयर, हाल खाता संख्या 145. जिसके खसरा नम्बर 702 रकबा 0.0180 हैक्टेयर खसरा नम्बर 703 रकबा 0.0100 हैक्टेयर कुल किता 2 का कुल रकबा 0.0280 हैक्टेयर, हाल खाता संख्या 146, जिसके खसरा नम्बर 706 रकबा 1.0551 हैक्टेयर कुल किता 1 का कुल रकबा 1.0551 हैक्टेयर के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम गुल्लाराम पुत्र रेखा के स्थान पर गुलाबचन्द यादव पुत्र रेखाराम

  
न्यायक क्लर्क (फास्ट ट्रक)  
जयपुर

यादव की घोषणा की जाकर राजस्व रिकॉर्ड इन्द्राज दुरुस्त किये जाने हेतु प्रतिवादी संख्या 1 को आदेशित किया जावे।

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज किया गया तथा प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तालब किया गया। प्रतिवादीगण बावजूद तामिल अनुपस्थित अतः इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। प्रकरण में वकील वादी की बहस सुनी गई। बहस में वकील वादी ने उन्ही तथ्यों को दोहराया जोकि वाद पत्र में अंकित है। प्रकरण में उपस्थित पक्षकारान की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, साक्ष्य शपथ पत्र का बगौर अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। उपरोक्त विवेचनानुसार, उपस्थित गवाह की सहमति एवं न्यायालय अभिमत में वादी का वाद पत्रस्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है। अतः वादी का वाद पत्र डिक्री किया जाकर आदेश दिया जाता है कि खातेदारी भूमि वाके ग्राम लोहरवाडा, पटवार हल्का लोहरवाडा, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र उदयपुरिया, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर में वादी की खातेदारी भूमि हाल खाता संख्या 140. जिसके खसरा नम्बर 716 रकबा 0.0040 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 717 रकबा 0.0619 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 718 रकबा 0.0118 हैक्टेयर कुल किता 3 का कुल रकबा 0.0777 हैक्टेयर, हाल खाता संख्या 144, जिसके खसरा नम्बर 715 रकबा 0. 1726 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 719 रकबा 4.4149 हैक्टेयर कुल किता 2 का कुल रकबा 4.5875 हैक्टेयर, हाल खाता संख्या 145. जिसके खसरा नम्बर 702 रकबा 0.0180 हैक्टेयर खसरा नम्बर 703 रकबा 0.0100 हैक्टेयर कुल किता 2 का कुल रकबा 0.0280 हैक्टेयर, हाल खाता संख्या 146, जिसके खसरा नम्बर 706 रकबा 1.0551 हैक्टेयर कुल किता 1 का कुल रकबा 1.0551 हैक्टेयर भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम गुल्लाराम पुत्र रेखा के स्थान पर गुलाबचन्द यादव पुत्र रेखाराम यादव घोषित किया जाता है। तदनुसार इन्द्राज दुरुस्ती किया जावे। डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 24.10.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुल न्यायालय में सुनाया गया।

  
सहायक कलेक्टर  
(फा0ड्रै0 / मुख्यालय)  
चौमूँ

**डिक्री मुकदमा इब्तादाई**  
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)  
न्यायालय सहायक कलक्टर (फा0ट्रैक/मु0) चौमूं, जयपुर ग्रामीण  
पीठासीन अधिकारी :-श्रीमती कनक जैन(R.A.S.)

मुकदमा नं0:-146/2025

उनवान

गुलाब चंद यादव पुत्र श्री रेखाराम यादव जाति अहीर निवासी ग्राम लोहारवाड़ा  
तहसील चौमूं जिला जयपुर।

-वादी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये लैण्ड होल्डर, तहसीलदार, तहसील चौमूं, जिला 1.  
जयपुर।

-प्रतिवादी-

2. कमली पुत्री रेखा
3. कमली पुत्री नारायण
4. काना पुत्र माता जगली देवी
5. कालूराम पुत्र रेखा
6. गीता पुत्री नारायण
7. गोपाल पुत्र रेखा
8. चम्पा देवी पत्नी सेवाराम
9. छोटूराम पुत्र रेखा
10. जगदीश पुत्र रेखा
11. नमीता पुत्री सेवाराम
12. नानूडी पुत्री नारायण
13. बंशी पुत्र रेखा
14. विमला पुत्री सेवाराम
15. भगवती पुत्री नारायण
16. मोहनी पुत्री रेखा
17. रूडी पुत्री नारायण
18. राजेंद्र पुत्र माता जगली देवी
19. राधेश्याम पुत्र सेवाराम
20. रामचन्द्र पुत्र नारायण
21. लादूराम पुत्र रेखा
22. शंकरी पुत्री नारायण
23. सुरजी पुत्री रेखा
24. सुशीला पुत्री नारायण
25. सीताराम पुत्र नारायण
26. सीताराम पुत्र रेखा
27. हरिराम पुत्र नारायण
28. मुरली पुत्री रेखा

  
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)  
चौमूं, जयपुर

29. लालाराम पुत्र स्व. गंगाराम
  30. रिछपाल पुत्र स्व. गंगाराम
  31. भूरी देवी पुत्री स्व. गंगाराम
  32. पतासी देवी पुत्री स्व. गंगाराम
  33. चौथी देवी पुत्री स्व. गंगाराम
  34. पांची देवी पुत्री स्व. गंगाराम
  35. मनभरी देवी पुत्री स्व0 गंगाराम
  36. सीता देवी पुत्री स्व. गंगाराम
  37. झमरू देवी पत्नी स्व. बंशी
  38. श्रवण पुत्र स्व. बंशी
  39. पप्पू पुत्र स्व. बंशी
  40. भगवान सहाय पुत्र स्व. भागीरथ
  41. मदन पुत्र स्व. भागीरथ
  42. जगदीश पुत्र स्व. भागीरथ
  43. रिछपाल पुत्र स्व. भागीरथ
  44. गोठी देवी पुत्री स्व. भागीरथ
  45. फूली देवी पुत्री स्व. भागीरथ
  46. सन्ती देवी पुत्री स्व. भागीरथ
  47. घीसी देवी पत्नी स्व. मुरलीधर
  48. गोपाल पुत्र स्व. मुरलीधर
  49. बनवारी पुत्र स्व. मुरलीधर
  50. कमली पुत्री स्व. मुरलीधर
  51. मंजू पुत्री स्व. मुरलीधर
  52. मोहनी पुत्री स्व. मुरलीधर
  53. नानू पुत्री स्व. मुरलीधर
  54. जगदीश पुत्र स्व. मांगीलाल
  55. श्रवण पुत्र स्व. मांगीलाल
  56. लालचन्द पुत्र स्व. मांगीलाल
  57. बाबूडी पुत्री स्व. मांगीलाल
  58. नानू पुत्री स्व मांगीलाल
- समरत जाति अहीर, निवासी ग्राम लोहरवाडा, तहसील चौगूँ जिला जयपुर।
59. द सेन्ट्रल कॉर्पोरेटिव बैंक, जरिये शाखा प्रबन्धक, शाखा गोविन्दगढ़, तहसील चौमू, जिला जयपुर।

परफोर्मा प्रतिवादीगण

### दावा बाबत घोषणा, इन्द्राज दुरुस्ती

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा नं0:-146/2025

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू हाजरी वकील वादीगण एवं प्रतिवादी मिनजामिन मुददई रूबरू श्रीमती कनक जैन आरएएस मिनजामिन मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि-

  
रजिस्ट्रार (फास्ट ट्रेक)  
जयपुर

खातेदारी भूमि वाके ग्राम लोहरवाडा, पटवार हल्का लोहरवाडा, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र उदयपुरिया, तहसील चौमै, जिला जयपुर में वादी की खातेदारी भूमि हाल खाता संख्या 140. जिसके खसरा नम्बर 716 रकबा 0.0040 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 717 रकबा 0.0619 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 718 रकबा 0.0118 हैक्टेयर कुल किता 3 का कुल रकबा 0.0777 हैक्टेयर, हाल खाता संख्या 144, जिसके खसरा नम्बर 715 रकबा 0.1726 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 719 रकबा 4.4149 हैक्टेयर कुल किता 2 का कुल रकबा 4.5875 हैक्टेयर, हाल खाता संख्या 145. जिसके खसरा नम्बर 702 रकबा 0.0180 हैक्टेयर खसरा नम्बर 703 रकबा 0.0100 हैक्टेयर कुल किता 2 का कुल रकबा 0.0280 हैक्टेयर, हाल खाता संख्या 146, जिसके खसरा नम्बर 706 रकबा 1.0551 हैक्टेयर कुल किता 1 का कुल रकबा 1.0551 हैक्टेयर भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम गुल्लाराम पुत्र रेखा के स्थान पर गुलाबचन्द यादव पुत्र रेखाराम यादव घोषित किया जाता है। तदनुसार इन्द्राज दुरुस्ती किया जावे।

निजी .....मबलिक ..... बाबत .....खर्चा इस मुकदमे का मय सूद वगैरह ..... फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाय तक ..... को अदा करें।

बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख 24.10.2025 को जारी किया गया।

मोहर

दस्तखत (m n j)  
सहायक क्लर्क (मिस्ट्र ट्रेड)  
ओहदा.....

### वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. स्टाम्प अर्जी दावा	2	1. स्टाम्प अर्जी दावा	2
2. स्टाम्प वकालतनामा	1	2. स्टाम्प वकालतनामा	
3. स्टाम्प वजह सबूत		3. महन्ताना वकील	
4. महन्ताना वकील		4. खर्चा गवाहन	
5. खर्चा गवाहन		5. फीस कमिश्नर	
6. फीस कमिश्नर		6. बाबत इजराय	
7. बाबत इजराय हुक्मनामा		हुक्मनामा	
8. मुतफरिक		7. मुतफरिक	
जोड़	3	जोड़	2

दस्तखत (m n j)  
सहायक क्लर्क (मिस्ट्र ट्रेड)  
ओहदा.....